सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या – 1373 / 2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

आशा कंवर पत्नि भूपेन्द्र जाति राजपूत निवासी सावर तहसील सावर जिला अजमेर

वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–18.6.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सावर में पेश हुई। वादी / प्रतिवादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 46 खसरा नम्बर 372 रकबा 0.35 हैक्ट, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.22 हैक्ट, भूमि वादीया के नाम दर्ज खातेदार है जो वादीया के कब्जे काश्त में निरंतर चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी के वर्किंग जमाबन्दी में खसरा नम्बर 432 थे तथा वर्किंग जमाबन्दी के आधार पर जो नक्शा ट्रेस राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया था वह उक्त आराजी की स्थिति के अनुसार सही तैयार किया गया था लेकिन राजस्व अधिकारीयों द्वारा वर्तमान में नक्शा ट्रेस तैयार करते समय पूर्व नक्शे की स्थिति को बिल्कुल ही बदलते हुए वादीया की आराजीयात को गलत तरमीम करते हुए नक्शे में आराजीयात का क्षेत्रफल कम दर्शाया गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर वर्किंग नक्शे के अनुसार एवं वर्तमान जमाबन्दी में वर्णित रकबे के अनुसार तरमीम किये जाने हेतु वादी द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली आज केम्प कोर्ट सावर में पेश हुई जहां वादी एवं प्रतिवादी स्वयं उपस्थित। तहसीलदार सावर की ओर से जवाब सरकार पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब सरकार एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। जवाब सरकार के अनुसार वर्किंग जमाबन्दी के खसरा नम्बर 432 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नम्बर 372, 373 व 375 बने है जिसमें से हाल खसरा नम्बर 372 का जमाबन्दी व राजस्व मानचित्र अनुसार सही मिलान होता है। वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 432 मि. रकबा 0.22 हैक्ट के हाल खसरा नम्बर 373 रकबा 0.22 हैक्ट. है लेकिन हाल खसरा नम्बर 373 का जमाबन्दी में रकबा 0.22 हैक्ट दर्ज है जबकि राजस्व मानचित्र को उक्त खसरा नम्बर का नक्शा 0.12 हैक्ट का ही बना है एवं आशा कंवर मौके पर 0.22 हैक्ट पर काबिज है। वर्किंग जमाबन्दी के खसरा नम्बर 432 मि. रकबा 0.24 हैक्ट के हाल खसरा नम्बर 375 रकबा 0.24 हैक्ट राजस्व जमाबन्दी के खाता संख्या 1 में सिवायचक दर्ज है जिसका राजस्व मानचित्र में रकबा 0.34 हैक्ट बना है एवं मौके पर जमाबन्दी अनुसार रकबा 0.24 हैक्ट मौके पर है। खसरा नम्बर 373 रकबा 0.22 हैक्ट एवं खसरा नम्बर 375 रकबा 0.24 हैक्ट राजस्व मानचित्र में लगवा ही है एवं सिवायचक खसरा नम्बर 375 रकबा 0.24 हैक्ट दुरूस्ती के बाद रकबा 0.24 हैक्ट शेष है। अतः

खसरा नम्बर 375 रकबा 0.24 हैक्ट में राजस्व मानचित्र में रकबा 0.10 हैक्ट दुरूस्त किया जाना रिपोर्ट तहसीलदार में उचित बताया है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम सावर तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खसरा नम्बर 372 रकबा 0.35 हैक्ट, 373 रकबा 0.22 हैक्ट के बाबत अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरान का वर्किंग जमाबन्दी के साथ नक्शा ट्रेश के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेश में तरमीम करने हेतु तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी के मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार तथा पुराने नक्शे के मुताबिक नये नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट से न्यायालय हाजा को अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 18.6.2018 पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी